भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2546

06.03.2020 को उत्तर के लिए

हाइड्रो-क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध

2546. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाइड्रो-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी-1416) जो सबसे शक्तिशाली ओजोन-क्षारक रसायनों में से एक है के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी ओजोन क्षारक पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 के तहत एचसीएफसी-1416 को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एचसीएफसी-1416 के मुख्य उपयोगकर्ताओं में से एक, फोम निर्माताओं के लिए इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशों में प्रतिबंधित किए गए कई रसायनों का अभी भी देश में उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे रसायनों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे रसायनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ड.) भारत ने एचसीएफसी- 141-ख, जो फोम विनिर्माण उद्यमों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला रसायन है, को दिनांक 01.01.2020 से सक्रियता से चरण बद्ध रूप से पूर्णत: समाप्त करना शुरू कर दिया था। मंत्रालय की पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के

लिए वचनबद्धता के भाग के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए [का.आ. 4724 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 2019] ओजोन क्षारक पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 अन्य बातों के साथ-साथ 1 जनवरी, 2020 से एचसीएफसी-141 ख के लिए आयात लाइसेंस को जारी करना प्रतिबंधित करते हैं। एचसीएफसी 141-ख का आयात प्रतिबंधित कर रहे ओजोन क्षारक पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश में एचसीएफसी-141 - ख को पूर्णत: चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया है। पहले अधिसूचित किए गए ओजोन क्षारक पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के तहत सभी किस्म के फोम विनिर्माण में एचसीएफसी-141-ख उपयोग को 01.01.2020 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों हेतु मॉट्रियल प्रोटोकॉल के तहत देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

मंत्रालय, फोम विनिर्माण उद्यमों को गैर-एचसीएफसी 141 -ख और कम वैश्विक तापन संभावित प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन करने में मदद करने के लिए वर्तमान एचपीएमपी के लिए अग्रणी कार्यान्वयन अभिकरण, यूएनडीपी के माध्यम से हाइड्रो-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) को चरणबद्ध समाप्ति प्रबंधन योजना (एचपीएमपी) के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एचपीएमपी के कार्यान्वयन हेतु निधियां मॉट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सहित, विकासशील देशों को मॉट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन हेतु बहुपक्षीय निधि द्वारा प्रदान की जाती है।

फोम विनिर्माण उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने में सामना की जा रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने फोम विनिर्माण उद्यमों को सुविधा प्रदान करने और सुचालन हेतु केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के साथ करार किया। उद्यमों को उपलब्ध की गई सहायता के भाग के रूप में प्रौद्योगिकी कार्यशालाएं, क्षेत्रीय परीक्षण, स्थल विशिष्ट पर डिमानस्ट्रेशन और सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण और उत्पाद की अधिमान्यता में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जा रही है। वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को संतुलित-स्थिर करने के लिए पहले से सहायता प्रदत्त उद्यम, वाणिज्यिक स्तर पर विकल्पों को अंगीकार करने की दिशा में बढ़ने में समर्थ हो गए हैं।

मॉट्रियल प्रोटोकॉल अनुपालन की अपेक्षा के अनुसार,भारत को सभी फोम विनिर्माण क्षेत्रों में 1 जनवरी 2020 तक प्रि-ब्लेन्डेड पॉलीओल्स में शुद्ध या नियंत्रित एचसीएफसी-141-ख के आयात और उपयोग को प्रतिबंधित करना था। यह प्रतिबंध, ओजोन क्षारक पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 और 2019 के द्वारा लागू किया गया है।

******